

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञापित

दिनांक: 20.03.2017

सीबीआई ने एक लाख रू. घूसखोरी के मामले में भारतीय खाद्य निगम के तकनीकी सहायक एवं एक संविदा कर्मी को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से एक लाख रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) मलेरकोटला, जिला संगरूर (पंजाब) के तकनीकी सहायक (गुणवत्ता नियंत्रक) एवं एक संविदा कर्मी को गिरफ्तार किया।

एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ जिसमें आरोप है कि भारतीय खाद्य निगम मलेरकोटला, जिला संगरूर के तकनीकी सहायक (गुणवत्ता नियंत्रक) ने शिकायतकर्ता के चावल से भरे ट्रक को पास करने हेतु आरोपी एक लाख रू. की घूस की माँग कर रहा था। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता (चावल की चक्की वाला) से एक लाख रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। दोनों आरोपियों के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों में तलाशी की गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

दोनों आरोपियों को विशेष न्यायाधीश, पटियाला (पंजाब) के समक्ष पेश किया गया एवं दिनांक 21.03.2017 तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया।
